रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271612
CG-DL-E-07042026-271612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1681] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/ चैत्र 17, 1948
No. 1681] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/ CHAITRA 17, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2026

का.आ. 1748(अ).—जबकि मेसर्स टेक ग्रीन पॉवर XVI प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय - दूसरा तल, स्क्वायर वन मॉल, साकेत बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कोर्ट चौक, पुष्प विहार नई दिल्ली-110017, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स टेक ग्रीन पॉवर XVI प्राइवेट लिमिटेड की कर्नाटक राज्य के विजयपुरा में प्रस्तावित 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/46/2025-PG दिनांक 05.05.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स टेक ग्रीन पॉवर XVI प्राइवेट लिमिटेड की कर्नाटक राज्य के विजयपुरा में प्रस्तावित 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स टेक ग्रीन पॉवर XVI प्राइवेट लिमिटेड, ने स्थानीय समाचार पत्रों द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 19.06.2025, दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिन्दी में) दिनांक 18.06.2025, कन्नड़ प्रभा (कन्नड़ में) दिनांक 18.06.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 12.07.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स टेक ग्रीन पॉवर XVI प्राइवेट लिमिटेड ने 11.02.2026 दिनांक एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स टेक ग्रीन पॉवर XVI प्राइवेट लिमिटेड की कर्नाटक राज्य के विजयपुरा में प्रस्तावित 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें सम्मिलित हैं:

(i) जेनरेशन पूलिंग स्टेशन (पीएसएस 1) (मालागल्दिन्नी ग्राम, मुद्देबिहाल तालुक, विजयपुरा जिला, कर्नाटक स्थित) से जेनरेशन पूलिंग स्टेशन (पीएसएस 2) (गुडिहाल ग्राम, मुद्देबिहाल तालुक, विजयपुरा जिला, कर्नाटक स्थित) तक 220 केवी सिंगल सर्किट लाइन (डबल सर्किट टावर पर)।

(ii) जेनरेशन पूलिंग स्टेशन (पीएसएस 2) (गुडिहाल ग्राम, मुद्देबिहाल तालुक, विजयपुरा जिला, कर्नाटक स्थित) से बीजापुर पीएस (आईएसटीएस सबस्टेशन) तक 220 केवी सिंगल सर्किट लाइन (डबल सर्किट टावर पर)।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें कर्नाटक के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी:

क्र.सं.	गाँव का नाम	तहसील/ तालुक	जिला	राज्य
1.	तरनाल (तारानाल), चोंडी, जंगा मुरल (जंगामुराला), बुदिहाल (बुदिहाला), अब्बीहाल (अब्विहाला), कुंतोगी, हीरेमुरल (हीरे मुराला), अरे मुरल (अरेमुराला) कवडिमट्टी (कावडीमट्टी), होकरनी, गुडिहाल (गुडिहाला), वनकिहाल (वनकिहाला), जलापुर (जलापुरा), बालवट (बालावटा), मडिके सिरुर (मडिके श्वरा), धवलगी (दवलागी), इंगलागेरी (इंग्लागेरी), जम्बालदिन्नी (जम्बालादिन्नी), मलकापुर, मालागल्दिन्नी (मालागालडिन्नी), नादाहल्ली, हल्लूर (हल्लूरा), हुलगबल (हुलागबाला), वनाहाल्ली (वनकिहाला)	मुद्देबिहाल	विजयपुरा	कर्नाटक
2.	पदेकनूर (पाडेकनुरा), कोन्नुर (कोन्नुरा), सोमनल (सोमनहाला)	तालिकोटी		
3.	वड़वडागी, नंदीहाल (नंदीहाला), हुलबेंची (हुलीबेंची), नागराहालहुली (नागराला हुली), सिंदगेरी (सिन्धागेरी)	बसावन बागेवाड़ी (बसावन बागेवाड़ी)		
4.	कड़कोल (कडकोला), यालवर (यलवारा), कोरावर (कोरावरा), बुधिहालदोन (बुढिहलदोनी), कोंडागुली (कोंडागोली), वरकनल्ली, नागराल्डन (नागराला डोनी), भैरवादागी (वैरवाडागी), जलावड़ (जलावाड़ा), इब्राहिमपुर (इब्राहिमपुरा), गुलबल	देवारा हिप्पारागी		
5.	गोनल (गोनाला)	निदागुंडी		

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मैसर्स टेक ग्रीन पॉवर XVI प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मैसर्स टेक ग्रीन पॉवर XVI प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/35/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 6th April, 2026

S.O. 1748(E).—Whereas M/s TEQ Green Power XVI Private Limited having its registered address at 2nd Floor, Square One Mall, Saket Business District, Court Chowk, Pushp Vihar, New Delhi-110017 India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s TEQ Green Power XVI Private Limited for its 300 MW wind power project in Vijayapura, Karnataka".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/46/2025-PG dated 05.05.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s TEQ Green Power XVI Private Limited for its 300 MW wind power project in Vijayapura, Karnataka".

.M/s TEQ Green Power XVI Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The New Indian Express (in English) dated 19.06.2025, Dakshin Bharat Rashtramat (in Hindi) dated 18.06.2025, Kannada Prabha (in Kannada) dated 18.06.2025 and in Weekly Gazette of India dated 12.07.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s TEQ Green Power XVI Private Limited has submitted an affidavit dated 11.02.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s TEQ Green Power XVI Private Limited for its 300 MW wind power project in Vijayapura, Karnataka". The following overhead lines are covered under this scheme:

(i) Generation Pooling Station (PSS 1) of M/s TEQGPXVIPL (Generation Switchyard located at Malagaldinni Village, Muddebihal Taluk, Vijaypura District, Karnataka) - Generation Pooling Station (PSS 2) of M/s TEQGPXVIPL (Generation Switchyard located at Gudihal Village, Muddebihal Taluk, Vijaypura District, Karnataka) 220 kV S/c line on D/c towers.

(ii) Generation Pooling Station (PSS 2) of M/s TEQGPXVIPL (Generation Switchyard located at Gudihal Village, Muddebihal Taluk, Vijaypura District, Karnataka) - Bijapur PS (ISTS S/s) 220 kV S/c line on D/c towers.

The transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Karnataka:

S. No.	Name of the Villages	Tehsil/ Taluka	District	State
1.	Tarnal (Taranala), Chondi, Janga mural (Jangamurala), Budihal (Budihala), Abbihal (Abbihala), Kuntogi, Hire mural (Hiremurala), Are mural (AreMurala), Kavadimatti, Hokrani, Gudihal (Gudihala), Vanakihal (Vanakihala), Jalapur (Jalapura), Balavat (Balavata), Madike Sirur (Madike Shvara), Dhavalagi (Davalagi), Ingalageri	Muddebihal		

	(Inglageri), Jambaldinni (Jammaladinni), Malkapur, Malagaldinni (Malagaladinni), Nadahalli, Hallur (Hallura), Hulagbal (hulagabala), Vanahalli (Vanakihala)			
2.	Padekanur (Padekanura), Konnur (Konnura), Somanal (Somanahala)	Talikoti		
3.	Vadavadagi, Nandihal (Nandihala), Hulbenchi (Hulibenchi), Nagarahalhuli (Naagarala Huli), Sindgeri (Sindhageri).	Basavan Bagevadi (Basavan Bagewadi)	Vijayapura	Karnataka
4.	Kadkol (Kadakola), Yalvar (Yalavara), Korawar (Koravara), Budhihaldon (Budhihaladoni), Kondaguli (Kondagoli), Varkanalli, Nagaraldon (Nagarala doni), Bhairvadagi (Byravaadagi), Jalawad (Jalavada), Ibrahimpur (Ibrahimpura), Gulbal	Devara Hipparagi		
5.	Gonal (Gonala)	Nidagundi		

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s TEQ Green Power XVI Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s TEQ Green Power XVI Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/35/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.04.07 16:08:23 +05'30'